उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर
आर.बी.ई.सं. 73/2015
दिनांक 10/7/2015

सं. 936-E/0/TRG/APP.

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक– जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक– अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक– अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण– जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.–जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.– जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.– जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड– अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान– उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र– जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.– जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय – महाप्रबंधक प्रका.– जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका.– जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.– जयपुर

RBE No. 73/2015

विषय :– fixation of Stipend for Apprentice JEs Selected through LDCE during their training Period.

संदर्भ :– (i) Railway Bo. No. PC-V/2008/PS/1 (Stipend) dt. 30/6/2015
(ii) PNM/AIRF item No. 17/2013

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 30/6/15 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एंव सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न– यथोक्त।

(डिलीप कुमार)
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

10/7/15

प्रतिलिपि–

1. महासचिव– एनडब्ल्यूआरईयू 15 प्रतियाँ।
2. महासचिव– यूपीआरएमएस 15 प्रतियाँ।
3. महासचिव– एससी/एसटी एसो. 15 प्रतियाँ।
4. महासचिव– ओबीसी एसो. 05 प्रतियाँ।
5. महासचिव– पदोन्नत अधिकारी एसो. 15 प्रतियाँ।

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/351
No.PC-V/2008/PS/1(Stipend)

RBE No. 73 /2015
New Delhi, dated 30 .06.2015

The General Managers
All Zonal Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub: - Fixation of stipend for Apprentice JEs selected through LDCE during their training period.

Ref: PNM/AIRF item No.11/2013.

All Indian Railwaymen's Federation have raised the issue regarding fixation of stipend for Apprentice JEs selected through LDCE during their training period. The issue was discussed in PNM meeting and it has been decided to reiterate the existing relevant provisions of IREM. In this context, attention is invited to para-1905 (2) of IREM Vol.II (Revised Edition-1990) which stipulates as under:-

"........Permanent Railway servants on appointment as apprentices in any category may be granted pay equivalent to the rate of stipend laid down for that particular category of Apprentices or their substantive pay as admissible to them from time to time whichever is higher. Temporary railway servants on appointment as apprentices in any category may be granted pay equivalent to the rate of stipend drawn by the Apprentices in their category".

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Hindi version is enclosed.

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission-V
Railway Board

No.PC-V/2008/PS/1(Stipend)

New Delhi, dated 30.06.2015

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

D:\MANOJ\General Orders\PNM_AIRF\item No 11_2013.doc

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्रम सं. पीसी-VI 351

आरबीई सं. 73/2015

सं. पीसी-V/2008/पीएस/1(स्टाइपेन्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30.06.2015

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पाइन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुने गए प्रशिक्षु जूनियर इंजीनियरों का उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान वज़ीफा निर्धारित करना।

संदर्भ: पीएनएम/एआईआरएफ मद सं. 11/2013

ऑल इण्डियन रेलवेमेन फेडरेशन ने सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुने गए प्रशिक्षु जूनियर इंजीनियरों का उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान वज़ीफा निर्धारित करने से संबंधित मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे पर पीएनएम की बैठक में चर्चा की गई और आईआरईएम के मौजूदा प्रचलित प्रावधानों को पुन: दोहराने का विनिश्चय किया गया है। इस संदर्भ में, आईआरईएम वाल्यूम-II (संशोधित संस्करण-1990) के पैरा-1905 (2) की ओर ध्यान आकिर्षत किया जाता है जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"............ स्थायी रेल सेवकों को उन्हें किसी कोटि में प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त करने पर प्रशिक्षुओं की उस विशेष कोटि के लिए निर्धारित वज़ीफे की दर के बराबर वेतन या समय-समय पर यथा स्वीकार्य उनका मूल वेतन, जो भी अधिक हो, दिया जाए। अस्थायी रेल सेवकों को किसी कोटि में प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त करने पर उनकी कोटि में प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वजीफ़े की दर के बराबर वेतन दिया जाए"।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड